न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 273/2020 अपील (GCMS/2020/00303)
पंजीयन दिनांक - 14.09.2020
निर्णय दिनांक - 16.03.2021

1. मैसर्स केपेटिव फूडस् प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक दीपक अग्रवाल पिता श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी मंगलदीप, 2 पंचवटी, उदयपुर (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सवलाल पिता नारायण डांगी निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत - वकील अपीलार्थी
2. श्री पंकज भटनागर एवं हर्षद जोशी - वकील प्रत्यर्थी-1
3. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-18/2018, में श्री सवलाल डांगी बनाम मेसर्स केपेटिव फुडस् प्राईवेट लिमिटेड व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-18/2018, में श्री सवलाल डांगी बनाम मेसर्स केपेटिव फुडस् प्राईवेट लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री सवलाल द्वारा तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-435 दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री सवलाल द्वारा मैसर्स केपेटिव फुडस् प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 24.08.2005 से ग्राम

रूपनगर में स्थित अपने खातेदारी की आराजी संख्या-3641, 3646, 3664, 3665, 3679, 3698, 3699 व 3711 कुल किता 8 रकबा 1.1500 हैक्टर भूमि में से अपने हिस्से में से मात्र 0.54625 भूमि का विक्रय करना तय किया था। शेष रकबा 0.02875 हैक्टर भूमि शेष रहती है। कथित विक्रय पत्र द्वारा आराजी संख्या-3652 का विक्रय उसकी (सवलाल) ओर से नहीं किया गया। बावजुद इसके वक्त नामान्तरकरण मैसर्स केपेटिव फुडस् प्राईवेट लिमिटेड के प्रभाव में आकर तहसीलदार, गिर्वा द्वारा उसके (सवलाल) के विक्रय से शेष रकबे 0.02875 हैक्टर तथा विक्रय नहीं की गई आराजी भूमि 3652 का भी हक व हिस्सा मैसर्स केपेटिव फुडस् प्राईवेट लिमिटेड के नाम दर्ज किया गया जो कि प्रत्यक्ष त्रुटि है, जिससे श्री सवलाल अपने खातेदारी अधिकार से महरूम हो गया। विक्रय से शेष रकबे व आराजी भूमि के जुज हिस्से पर आज भी उसका बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः आक्षेपित नामान्तरकरण आदेश संख्या-435 दिनांक 09.08.2012 निरस्त करते हुए श्री सवलाल के पक्ष में उसकी विक्रय से शेष भूमि 3652 का जुज 1/2 हिस्सा तथा विक्रय से शेष रकबा 0.02875 हैक्टर भूमि दुरस्त अंकित किये जाने हेतु तहसीलदार, गिर्वा को आदेशित किया जावें।

- अधीनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2019 से उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि **''पत्रावली संलग्न अपीलीय नामान्तरकरण 435 व विक्रय पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत विक्रय पत्र में आराजी संख्या 3779, 3798, 3799 का अपीलार्थी का हिस्सा विक्रय किया गया है। जबकि नामान्तरकरण में आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 को अंकित किया गया है। यदि अपीलार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 का हिस्सा विक्रय किया गया है तो बिना शुद्धि पत्र ऐसा नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। विक्रय पत्र में अपीलार्थी द्वारा खाते में स्थित अपनी 1/2 हिस्से की भूमि जो कि 0.5750 हैक्टर होती है। उस सम्पूर्ण हिस्से की भूमि में से 19/20 भाग को अर्थात 0.54625 हैक्टर को विक्रय किया जाना बताया गया है जबकि नामान्तरकरण सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का दर्ज कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा विक्रय पत्र के अनुरूप नामान्तरकरण नहीं खोला गया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा भी बिना जांच किये ही रिपोर्ट अंकित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नामान्तरकरण को दिनांक 09.08.12 को स्वीकृत कर दिया गया है। संलग्न जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 को देखने से यह जाहिर होता है कि आराजी संख्या 3652 जो कि विक्रय पत्र में उल्लेखित नहीं है। उक्त आराजी को भी सहखातेदारी से दर्ज कर दी गई है। जिससे यह जाहिर होता है कि नामान्तरकरण**

की कार्यवाही में तत्समय के पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की दुर्भावना रही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 435 दिनांक 09.08.12 राजस्व ग्राम रूपनगर, पटवार हल्का भुवाणा हाल तहसील बड़गावं का खारिज किया जाकर तहसीलदार, बड़गावं को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र तादादी 12,31,000/- दिनांक 24.08.15 जो कि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 148 के पृष्ठ संख्या 67 क्रम संख्या 2005006490 पर पंजीबद्ध किया गया है के आधार पर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर विक्रय भूमि का अंकन रेस्पोडेंट संख्या-1 के नाम पर करें। व पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्ज आराजीयातों के मुकाबले सही आराजीयातों का अंकन पंजीकृत शुद्धि पत्र के आधार पर ही करें। रेस्पोडेंट संख्या-1 को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त विक्रय पत्र की छायाप्रति तहसीलदार बड़गावं के समक्ष प्रस्तुत करें।'

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र का संलग्न किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.03.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या-1 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या-435 दिनांक 09.08. 2012 के संदर्भ में आराजी संख्या-3641, 3646, 3664, 3665, 3679, 3698, 3699 व 3711 में रेस्पोडेंट संख्या-1 के नाम पर विक्रय से शेष रकबा 0.02875 दर्ज किये जाने हेतु एवं आराजी संख्या-3652 का 1/2 जुज भाग पुनः रेस्पोडेंट संख्या-1 के नाम पर दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में दुरस्ती की सहायता चाही गई है जिस संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा मुल नामान्तरकरण संख्या-435 को ही निरस्त कर नये सिरे से केवल पंजीकृत शुद्धिपत्र के माध्यम से निर्णित करने के निर्देश प्रदान कर पक्षकारों को न्याय प्राप्ति में अनावश्यक विलम्ब कारित किया गया एवं रेस्पोडेंट संख्या-1 द्वारा वांछित सहायता की परास से ईतर जाकर निर्णय पारित किया गया है। जब दोनों पक्षों के मध्य मुलतः चाही गई सहायता के अनुरूप सैद्वान्तिक सहमति हो चुकी

थी एवं दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र में सहवन से हुए गलत अंकन को स्वीकार लिया है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत शुद्धिपत्र निष्पादित किये जाने की शर्त अध्यारोपित करना न्याय एवं साम्या के अनुरूप नहीं होकर अलग से पंजीकृत शुद्धिपत्र निष्पादित किया जाना आवश्यक नहीं है, बावजूद इसके अपीलान्ट के द्वारा जरिये पंजीकृत सूचना पत्र के रेस्पोडेंट संख्या-1 को पंजीकृत शुद्धिपत्र निष्पादित करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या-1 की उदासीनता के चलते न्याय प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है। आलौच्य निर्णय में प्रदत्त निर्देशानुसार अपीलान्ट के द्वारा कई बार मोखिक रूप से रेस्पोडेंट संख्या-1 का पंजीकृत शुद्धिपत्र निष्पादित करने हेतु कहा व अन्त में व बीच में कोविड-19 महामारी आ जाने व उसके पश्चात् दिनांक 13.06.2020 को रेस्पोडेंट संख्या-1 को पंजीकृत सूचना पत्र जारी करने बावजुद रेस्पोडेंट संख्या-1 द्वारा उदासीनता बरतने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में देरी कारित हुई है, जिसे क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या-435 दिनांक 09.08.2012 को अपीलान्ट द्वारा क्रयशुदा भूमियां जो कि आराजी 3641, 3646, 3664, 3665, 3679, 3698, 3699 व 3711 कुल किता 3 रकबा 1.1500 हैक्टर में से 0.54625 हैक्टर भूमियां क्रय की गई, की हद तक बहाल रखा जाकर शेष रेस्पोडेंट संख्या-1 द्वारा अविक्रित 0.02875 हैक्टर भूमियां तथा आराजी संख्या-3652 रेस्पोडेंट संख्या-1 के नाम पुनः दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि संगत एवं उचित है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-1 को शुद्धि पत्र हेतु नोटिस जारी करने का कथन किया जा रहा है, यदि ऐसा हुआ है तो अपीलार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में चाराचोही कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 की सहमति के बारे में कथन किया जा रहा है, परन्तु सहमति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी अपील की आड में दस्तावेजों में दुरस्ती का कार्यवाही चाहता है, जो नियमों में नहीं है। अपील का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है, जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक एवं कानूनन होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हम हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रकरण का गुणावगुण पर एक साथ विवेचन किया जाना उचित समझते है।

यहा यह सर्वप्रथम उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आराजी संख्या-3652 को भी अपीलार्थी के नाम पर दर्ज होने से पुनः उसके नाम दर्ज करने की दाद चाही गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कथन किया गया कि **संलग्न जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 को देखने से यह जाहिर होता है कि आराजी संख्या 3652 जो कि विक्रय पत्र में उल्लेखित नहीं है। उक्त आराजी को भी सहखातेदारी से दर्ज कर दी गई है।** न्यायालय हाजा समक्ष अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आराजी संख्या-3652 की भूमि को प्रत्यर्थी-1 के नाम दर्ज करने की सहमति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आराजी संख्या-3641, 3646, 3664, 3665 एवं 3652 दो नामान्तरकरण संख्या-435 एवं 482 से विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज हुए। नामान्तरकरण संख्या-435 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आराजी संख्या-3641, 3646, 3664, 3665 नामान्तरकरण संख्या-435 से सम्बन्धित है जिसका अंकन उक्त नामान्तरकरण में है। परन्तु आराजी संख्या-3652 का अंकन नामान्तरकरण संख्या-435 में कही भी नहीं किया गया है, ऐसे में यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या-3652 नामान्तरकरण संख्या-482 से सम्बन्धित होकर अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है। जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में आराजी संख्या-3652 के सम्बन्ध में जो वर्णन किया है, वह समर्थन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-435 से परे जाकर दाद प्राप्त करनी चाही जो अनुचित है। न ही प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जो यह प्रकट करता हो कि आराजी संख्या-3652 उसके स्वामित्व एवं खातेदारी की है। संक्षिप्त में यह कहना उचित होगा कि प्रश्नगत अपील नामान्तरकरण संख्या-435 के क्रम में न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत हुई है जिससे सिर्फ उक्त नामान्तरकरण संख्या-435 से सम्बन्धित आराजीयात पर ही निर्णय किया जाना वांछनिय है। अतः आराजी संख्या-3652 के सम्बन्ध में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 के कथन इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से निर्विवादित तथ्य यह है कि ग्राम रूपनगर में स्थित आराजी संख्या-3641, 3646, 3664, 3665, 3679, 3698, 3699 व 3711 कुल किता 8 रकबा 1.1500 हैक्टर भूमि में से प्रत्यर्थी-1 श्री सवलाल द्वारा अपने निहित हिस्से में से मात्र 0.54625 भूमि का विक्रय अपीलार्थी करना तय किये जाने का अंकन अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील में किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2015 को निष्पादित किया। प्रस्तुत विक्रय पत्र में आराजी संख्या 3779, 3798, 3799 का अपीलार्थी का हिस्सा विक्रय किया गया है। जबकि नामान्तरकरण में आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 को अंकित किया गया है। यदि अपीलार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 का हिस्सा विक्रय किया गया है तो बिना शुद्धि पत्र ऐसा नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। विक्रय पत्र में अपीलार्थी द्वारा खाते में स्थित अपनी 1/2 हिस्से की भूमि जो कि 0.5750 हैक्टर होती है। उस सम्पूर्ण हिस्से की भूमि में से 19/20 भाग को अर्थात 0.54625 हैक्टर को विक्रय किया जाना बताया गया है जबकि नामान्तरकरण सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का दर्ज कर दिया गया है। यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-133, 134 एवं 135 में नामान्तरकरण का प्रावधान है। इस बारें में पूर्ण विधि का विवरण राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम, 1957 के नियम 119 से 148 में दिया गया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण दर्ज करने एवं जांच करते समय राजस्व रेकर्ड एवं प्रस्तुत विक्रय पत्र का उचित अध्ययन एवं परिक्षण नहीं किया जो अपेक्षित था। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस कथन का समर्थन करते है कि प्रस्तुत विक्रय पत्र में आराजी संख्या 3779, 3798, 3799 का अपीलार्थी का हिस्सा विक्रय किया गया है। जबकि नामान्तरकरण में आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 को अंकित किया गया है। यदि अपीलार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 3679, 3698, 3699 का हिस्सा विक्रय किया गया है तो बिना शुद्धि पत्र ऐसा नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी के कथन, कि प्रत्यर्थी द्वारा शुद्धि पत्र निष्पादित किये जाने में उदासीनता बरती जा रही है जिसके सम्बन्ध में उसे नोटिस की भी जारी किया गया, का सम्बन्ध है, अपीलार्थी इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय अपना उज्र प्रस्तुत कर वांछित दाद प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से भी संतुष्ट है कि उन्होने तहसीदार बड़गावं को निर्देशित किया कि वह विक्रय पत्र तादादी 12,31,000/- दिनांक 24.08.15 जो कि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 148 के पृष्ठ संख्या 67 क्रम संख्या 2005006490 पर पंजीबद्ध किया गया है के आधार पर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर विक्रय भूमि का अंकन रेस्पोडेंट संख्या-1 के नाम पर करें। व पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्ज आराजीयातों के मुकाबले सही आराजीयातों का अंकन पंजीकृत शुद्धि पत्र के आधार पर ही करें।

जहां तक प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कारणों पर मनन किया गया और पाया गया कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 01.07.2019 को पारित किया और जिसके लगभग एक वर्ष उपरान्त दिनांक 13.06.2020 को अपीलार्थी द्वारा शुद्धिपत्र हेतु प्रत्यर्थी संख्या-1 को

सूचना देने का पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। उल्लेखित है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 18.06.2020 से वैश्विक महामारी कोविड-19 के वादों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब अवधि को माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 3/2020 दिनांक 23.03.2020 पारित आदेशानुसार अवधि दिनांक 23.03.2020 से 29.06.2020 तक को परिसीमा अवधि में सम्मिलित नहीं किये जाने आदेश दिया है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रीट पीटीशन संख्या-3/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 से अवधि दिनांक 15.03.2020 से 14. 03.2021 तक को परिसीमा अवधि में सम्मिलित नहीं किये जाने आदेश दिया है। यदि उक्त अवधि को उपशमित किया जाये तो भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से है, जिसे क्षम्य किये जाने बाबत प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर भी स्वीकार योग्य नहीं है परन्तु न्यायहित में प्रकरण को गुणावगुण पर भी उपरोक्तानुसार विवेचित किया गया है।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पक्षकारान द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए नामान्तरकरण संख्या-435 के सम्बन्ध में पारित निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या-435 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, बड़गावं को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2019 के आधार पर ग्राम रूपनगर, राजस्व ग्राम भुवाणा के आराजी संख्या-3652 के सम्बन्ध में इस निर्णय में किये गये विवेचन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में बदलाव न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर